

राजस्थान-सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)
(E mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN, Tel. 2227033)

क्रमांक एफ 61(200) SSAAT/ लोकपाल /2022-23/ 11912

जयपुर, दिनांक 10/03/2023

जिला कार्यक्रम समन्वयक (EGS) एवं जिला कलेक्टर,
अलवर, जयपुर, झुंझनू, सीकर, बाडमेर, भरतपुर,
श्री गंगानगर, जैसलमेर, राजसमंद, बीकानेर, भीलवाड़ा,
बांसवाड़ा, बूंगरपुर, हनुमानगढ़ एवं जालौर ।

विषय:- लोकपाल कार्यालय की व्यवस्था बाबत।

संदर्भ:- इस कार्यालय के पत्रांक 8805 / 14.07.22, 9112 / 29.08.22, 9331 / 13.09.22, 9532 / 27.09.22, 10388 / 30.11.22, 10602 / 20.12.22 के क्रम में।

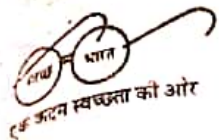
भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव, श्री अमित कटारिया ने अपने अ.शा. पत्र क्रमांक J11060/01/2023.RE111 (383123) दिनांक 08.02.2023 (संलग्न) के द्वारा अवगत कराया है कि उनके मंत्रालय को राज्य के लोकपाल से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उन्हें जिला प्रशासन द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन्स के तहत देय तकनीकी एवं प्रशासनिक सुविधाएँ उपलब्ध नहीं करवायी जा रही है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय से इस तरह का पत्र आना अत्यंत खेद का विषय है जबकि शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान सरकार एवं सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी द्वारा आपको संदर्भित पत्रों द्वारा लिखा जाता रहा है कि जिलों के लोकपाल को भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन्स के अन्तर्गत आवश्यक सुविधाएँ प्रदान की जावे।

आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आगामी सात दिवस में आपके जिले के लोकपाल को भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन्स के तहत आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करवाते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें। साथ ही जिले के लोकपाल को आप द्वारा क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध करवायी गई है, पत्र में स्पष्ट अंकित करावे।

(अभय कुमार) IAS
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग,

Document certified by ABHAY KUMAR
<VACOJI3358@ZOEY.COM>

Digitally Signed



Amit Kataria, IAS
Joint Secretary
Mahatma Gandhi NREGA
Tel: 23383553
Email: amitkataria@nic.in



ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
Ministry of Rural Development
Deptt. of Rural Development
Government of India
Krishi Bhavan, New Delhi-110001

D. O. No. J-11060/01/2023-RE-III(383123)

Date:- 08.02.2023

Dear Madam/Sir,

As you are aware that as per para 30 of Schedule 1 of the Mahatma Gandhi NREGA Act, the States are mandated to appoint an Ombudsperson for each district for receiving grievances, enquiring and passing awards as per the revised guidelines of the Ministry dated 05.08.2022.

2. Ministry has received various representations from Ombudspersons on the regarding lack of *Technical and administrative supports by the District Administration.*

3. As per the guidelines for Ombudsperson,

"Technical and administrative support will be provided by the DRDA or any other body specified the State Government in this behalf. All necessary support to enable the Ombudsman to carry out the assigned functions, including support staff, office equipment, complaint box, and telephone helpline etc. shall be provided to the Ombudsman by the district authority specified by the State Government. The State Government shall provide necessary legal support to cases in Courts relating to actions taken in official capacity by the Ombudsman."

3. In the light of above, I would like to request you to intervene personally so that every Ombudsperson in your state should get timely *Technical and administrative support*.

with regards .

Yours Sincerely

(Amit Kataria)

To,

The Principal Secretary/Secretary
Department of Rural Development,
All States/UTs(except UT of Delhi and UT of Chandigarh)